

प्राचार्य,
संबंधित राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:- ऑनलाईन रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने की अनुमति बाबत
संदर्भ:- विभाग के पत्रांक एफ 7 (4) यु.जी.सी/अकाद/आकाशि/2020/1265 दिनांक 02.11.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ऑनलाईन रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने हेतु निम्नलिखित सह/सहायक आचार्यों को अनुमति जारी की जाती है-

क्र.स.	नाम सह/सहायक आचार्य/श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ	विषय	महाविद्यालय का नाम	कोर्स जिसमें भाग लेना चाहते हैं।	कोर्स की अवधि	संस्थान जहाँ से कोर्स किया जाना है।
1.	सुनिता सिंह	प्राणी विज्ञान	राज. विज्ञान महा. सीकर	रिफ्रेशर	07.03.2022 से 21.03.2022 तक	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
2.	मनीष महर्षि	अंग्रेजी	राज. खूंजर महा. बीकानेर	रिफ्रेशर	07.03.2022 से 21.03.2022 तक	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
3.	दीव्या कुमारी	अंग्रेजी	राज. महा. मुण्डावर, अलवर	रिफ्रेशर	07.03.2022 से 21.03.2022 तक	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
4.	कमलेश शर्मा	लोक प्रशासन	राज. महा. मारवाड़ जंक्शन, पाली	रिफ्रेशर	03.03.2022 से 16.03.2022 तक	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू
5.	प्रकाशचन्द मीणा	भूगोल	राज. महा. बौली, सवाईमाधोपुर	रिफ्रेशर	07.03.2022 से 21.03.2022 तक	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
6.	विवेक कुमार	लोक प्रशासन	राज. महा. कंवर नगर, ब्रह्मपुरी जयपुर	रिफ्रेशर	03.03.2022 से 16.03.2022 तक	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू
7.	विकास राठोर	अंग्रेजी	राज. महा. बून्दी	रिफ्रेशर	22.03.2022 से 05.04.2022 तक	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली

उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए सह/सहायक आचार्यों को अनुमति देने से पूर्व प्राचार्य निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें :-

1. प्राचार्य केवल उन सह/सहायक आचार्यों को कार्यमुक्त करें जिन्हें सी.ए.एस. के तहत कोर्स करना आवश्यक हो।
2. संबंधित सह/सहायक आचार्यों ने यदि सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे-बैंड IV के लिये आवश्यक कोर्स कर रखे हैं तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है। जो सह/सहायक आचार्य तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये सह/सहायक आचार्य द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर संबंधित सह/सहायक आचार्य के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ उस तिथि के पश्चात एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिनके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
3. बेवसाईट प्रभारी को अपलोड करने हेतु।

(डॉ सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)